इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2016—आश्विन 12, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

अधि. क्र. 24 एफ 1-18-2016-अठारह-3.—14वां केन्द्रीय वित्त आयोग : कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण की योजना अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए परिपत्र सं. 13(32) एफएफसी-एफसीडी-2015-16 दिनांक 8-10-2015 के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के पैरा-19 (II) में उल्लेखित शर्त के पालन में राज्य शासन एतद्द्वारा नगरीय निकायों को कार्यनिष्पादन अनुदानों के संवितरण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की प्रमात्रा सहित विस्तृत प्रक्रिया और प्रचालन मानदंड निर्धारित करती है:—

कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण की योजना

भारत सरकार द्वारा नगरीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं. 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी अनुशंसाओं के अनुसार बेसिक अनुदान एवं परफारमेंस अनुदान में वितरण का अनुपात 80:20 का होगा. राज्य शासन नगरीय निकायों को उक्त अनुदान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वितरित करेगा. राज्य वित्त आयोग का फार्मूला उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली बेसिक एवं परफारमेंस अनुदान का अंश तीनों स्तरों में जनगणना के आधार पर 90 प्रतिशत एवं क्षेत्रफल के आधार पर 10 प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा. तत्पश्चात् वर्ष 2011 की जनगणना तथा क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में प्रत्येक स्तर के अंतर्गत आने वाली नगरीय निकायों के मध्य वितरित किया जायेगा.

14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिये म. प्र. राज्य के नगरीय निकायों के लिये निम्न अनुदान वर्षवार प्राप्त होना सूचित है:—

राशि रू. करोड़ में

मद/वर्ष (1)	2015-16 (2)	2016-17 (3)	2017-18 (4)	2018-19 (5)	2019-20 (6)	योग (7)
बेसिक अनुदान	496.79	687.89	794.80	919.44	1242.36	4141.28
परफारमेंस अनुदान	-	203.02	229.75	260.91	341.64	1035.32
योग . .	496.79	890.91	1024.55	1180.35	1584.00	5176.60

बेसिक अनुदान वर्ष 2015-16 में 2 किश्तों में राशि रु. 496.79 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में प्रथत किश्त राशि रु. 343.99करोड़ कुल राशि रु. 840.77 करोड़ राज्य को प्राप्त हो चुकी है, जिसे भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 90 प्रतिशत एवं क्षेत्रफल के आधार पर 10 प्रतिशत निर्धारित कर नगरीय निकायों को उपलब्ध करा दिया गया है.

परफारमेंस अनुदान की पात्रता प्राप्त करने के लिये निकायों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य होगा—

(I) The Municipalty will have to submit audited Account that relate to year not earlier than two years preceding the year in which the Municipalty seeks to claim the performance grant.

(II) The Municipalty will have to show an increase in tis own revenues over the preceding year as reflected in the audited accounts. The improvement in revenue will the determined on the basis of these audited accounts and on no other basis for computing the increase in own revenues in a particular year, the proceeds from octroi and entry tax must be excluded.

(III) The Municipalty must measure and publish the Service Level Bench Marks relating to basic urban services each year for the period of the award and make it publically available. The Service level Benchmark of the Ministry of Urban development may be used for this purpose.

14वें वित्त आयोग की गाईडलाईन अनुसार परफारमेंस ग्रांट की पात्रता प्रथम पैरा में उल्लेखित शर्तों की प्रतिपूर्ति होने पर नगरीय निकायों को आवेगी. पात्र नगरीय निकायों को विमुक्त की जाने वाली परफॉरमेंस ग्रांट हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:—

I-मापदण्ड—

स. क्र. (1)	सूचकांक (2)	उपलब्धियों का मापदण्ड (3)	अंक (4)
1	वार्षिक राजस्व में वृद्धि (कुल अंक 30)	9 प्रतिशत तक	0
		10 से 20 प्रतिशत तक	5
		21 से 40 प्रतिशत तक	10
		41 से 60 प्रतिशत तक	20
		61 प्रतिशत से अधिक	30
2	स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन (कुल अंक 30)		
	अ—शौचालय विहीन परिवारों की संख्या . . . के विरुद्ध 31-03-2016 तक निर्मित शौचालयों का का प्रतिशत (कुल अंक 15).	49 प्रतिशत तक	0
		50 से 60 प्रतिशत तक	5
		61 से 70 प्रतिशत तक	10
		71 प्रतिशत से अधिक	15
	ब—डोर टू डोर कचरा संग्रहण कुल वार्डों की संख्या के विरुद्ध कवरेज का प्रतिशत (कुल अंक 15).	49 प्रतिशत तक	0
		50 से 60 प्रतिशत तक	5
		61 से 70 प्रतिशत तक.	10
		71 प्रतिशत से अधिक	15
3	अधोसंरचना योजनाओं का क्रियान्वयन (कुल अंक 30)		
	अ—अमृत योजना (कुल अंक 6)	31-03-2016 तक सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लॉन तैयार कर नोडल एजेंसी का प्रस्तुत करना.	6
	ब—आवास योजनाएं (कुल अंक 6)		
	1. बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. योजना में निर्मित आवासों का अधिपत्य (कुल अंक 3).	19 प्रतिशत तक	0
		20 से 40 प्रतिशत तक	1
		41 से 60 प्रतिशत तक	2
		61 प्रतिशत से अधिक	3

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. प्रधान मंत्री आवास योजना (कुल अंक-3)	हाउसिंग फॉर प्लान ऑफ एक्शन	2
		डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत करना.	1
	स—पेयजल योजनाएं (मुख्यमंत्री पेयजल, यूआईडी एसएसएमटी, एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) प्रगतिशील योजनाओं में अनुबंध-अवधि अनुरूप कार्य प्रगति का प्रतिशत (कुल अंक 6).	निर्धारित शेड्यूल से 51 प्रतिशत से अधिक विलंब	0
		निर्धारित शेड्यूल से 26 से 50 प्रतिशत तक विलंब	2
		निर्धारित शेड्यूल से 25 प्रतिशत तक विलंब	4
		निर्धारित शेड्यूल अनुसार प्रगतिरत्	6

स. क्र. (1)	सूचकांक (2)	उपलब्धियों का मापदण्ड (3)	अंक (4)
	द—अधोसंरचना विकास संबंधी प्रचलित/पूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन.	निर्धारित शेड्यूल से 51 प्रतिशत से अधिक विलंब में पूर्ण/प्रगतिरत्.	0
	(मुख्यमंत्री अधोसंरचना/यूआईडीएसएसएमटी/ जेएनएनयूआरएम योजनाओं में अनुबंध में निर्धारित अवधि अनुरूप कार्य प्रगति का प्रतिशत (कुल अंक 6).	निर्धारित शेड्यूल से 26 से 50 प्रतिशत से अधिक विलंब में पूर्ण/प्रगतिरत्.	2
		निर्धारित शेड्यूल से 25 प्रतिशत से अधिक विलंब में पूर्ण/प्रगतिरत्.	4
		निर्धारित शेड्यूल अनुसार पूर्ण/प्रगतिरत्.	6
	इ—शहरी सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन (कुल अंक 6).	जी.आई.एस. आधारित संपत्तिकर का क्रियान्वयन	2
		द्वि-प्रविष्टि लेखा प्रणाली का क्रियान्वयन.	2
		ई-नगरपालिका का क्रियान्वयन	2
4	निकायों द्वारा किया गया नवाचार	जन सेवायें प्रदान करने में किया गया अभिनव कार्य	10

II-पात्र नगरीय निकायों को परफारमेंस ग्रांट आंवटित करने का गणना सूत्र—

(i) 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार निम्न शर्तें पूर्ण करने पर नगरीय निकायों को परफारमेंस अनुदान प्राप्त करने की पात्रता आवेगी—

1. परफारमेंस अनुदान दावा वर्ष से दो वर्ष के पूर्व के अंकेक्षित लेखे.
2. उक्त अंकेक्षित लेखों में नगरीय निकायों के स्वयं के राजस्व आय में वृद्धि,
3. निकायों द्वारा सर्विस लेवल बैंचमार्कों का निर्धारण एवं उनका प्रकाशन.

(ii)—पात्र नगरीय निकायों को भारत सरकार से प्राप्त कुल फरफॉरमेंस ग्रांट का 60 प्रतिशत, आरक्षित राशि के रूप में, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर वितरण किया जायेगी. जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः 90:10 होगा. अर्थात् 60 प्रतिशत राशि का 90 प्रतिशत, निकाय की जनसंख्या आधार पर एवं 10 प्रतिशत निकाय के क्षेत्रफल के आधार पर, निम्नानुसार आंकलित किया जायेगा—

(a) जनसंख्या हेतु वर्ष 2011 की जनगणना में नगरीय निकायों की जनसंख्या के आधार पर परकेपिटा आंकलन करके निम्न गणना सूत्र से किया जायेगा.

$$\text{निकाय को देय राशि (P)} = \frac{\text{निकाय की जनसंख्या x कुल आरक्षित राशि x 0.90}}{\text{नगरीय निकायों की कुल जनसंख्या}}$$

(b) शेष 10 प्रतिशत राशि को नगरीय निकायों के क्षेत्रफल के आधार पर निम्न गणना सूत्र अनुसार आंकलन कर दिया जायेगा.

$$\text{निकाय को देय राशि (A)} = \frac{\text{निकाय का क्षेत्रफल x कुल आरक्षित राशि x 0.10}}{\text{नगरीय निकायों की कुल क्षेत्रफल}}$$

इस प्रकार निकायों को कुल देय आरक्षित राशि जनसंख्या (P) + क्षेत्रफल (A) का योग होगा.

(iv) पात्र नगरीय निकायों को भारत सरकार से प्राप्त कुल परफॉरमेंस ग्रांट की शेष 40 प्रतिशत राशि का वितरण प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जायेगा. प्रोत्साहन राशि का निर्धारण, निर्धारित मापदण्डों के आधार पर अधिकतम 100 अंकों के विरुद्ध अर्जित अंकों के आधार पर, आनुपातिक रूप से किया जायेगा.

प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक 30 होंगे. अर्थात् उन्हीं निकायों को प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र माना जावेगा जिन्होंने न्यूनतम 30 अंक अर्जित किये हों. गणना सूत्र निम्नानुसार है.

गणना सूत्र—

$$\text{निकाय को देय प्रोत्साहन राशि} = \frac{\text{निकाय द्वारा अर्जित अंक x परफॉरमेंस ग्रांट की 40 \% राशि}}{\text{न्यूनतम 30 अंक प्राप्त निकायों द्वारा अर्जित समेकित अंक}}$$

III-परफारमेंस ग्रांट वितरण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि:—

(i) 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं अनुसार वर्ष 2016-17 में परफारमेंस अनुदान विमुक्त किया जाना है. वर्ष 2016-17 के अनुदान के विमुक्ति हेतु वर्ष 2014-15 के अंकेक्षित लेखे होना अनिवार्य है एवं वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में राजस्व में वृद्धि आंकलित की जायेगी. उक्तानुसार प्रतिवर्ष परफारमेंस अनुदान के लिये गत दो वर्ष पूर्व के अंकेक्षित लेखों एवं राजस्व वृद्धि को आधार माना जायेगा.

(ii) राजस्व में वृद्धि के अतिरिक्त लिये गये मापदण्ड, वर्तमान प्रचलित योजनाओं/सेवाओं पर आधारित है. आगामी वर्षों में अन्य नवीन योजनाओं के प्रचलित होने पर तदनुरूप पुनर्निर्धारण आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नियत किया जा सकेगा.

उल्लेखनीय है कि परफारमेंस ग्रान्ट वर्ष 2016-17 से प्रदाय की जावेगी. 14वें वित्त आयोग की गाईडलाईन अनुसार 2016-17 में प्राप्त परफारमेंस राशि उन्हीं निकायों को विमुक्त की जानी है जिनके दो वर्ष के पूर्व के लेखों का अंकेक्षण हो चुका हो. इसी प्रकार वर्ष 2017-18 के लिये वर्ष 2015-16 के अंकेक्षण लेखे आधार होंगे. प्रदेश में 2014-15 से वर्तमान तक 22 निकाय नवगठित हैं जिन्हें वर्ष 2016-17 की परफारमेंस ग्रान्ट की पात्रता 14वें वित्त आयोग की गाईडलाईन अनुसार नहीं आ सकेगी. अगले वर्षों से इन्हें भी राशि की पात्रता परफारमेंस के आधार पर आ सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.